

संख्या:-शिक्षा- कांगडा (RTI)/Annual Report- 4273-75

कार्यालय उप शिक्षा निदेशक उच्च

कांगडा स्थित धर्मशाला

दिनांक : धर्मशाला - 176215 10<sup>th</sup> जून, 2020

फोन नं. 01892 223124

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,  
रा0 व0 मा0/उच्च पाठशाला,  
ज़िला कांगडा (हि0 प्र0)।

विषय: -

Regarding Annual report of RTI w.e.f 1<sup>st</sup> April, 2019 to  
31<sup>st</sup> March, 2020 under RTI Act, 2005.

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या संख्या:-शिक्षा- कांगडा (RTI)/Annual Report-3439-40 दिनांक 15.05.2020 द्वारा आपको आदेश दिए गये थे कि, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक भेजे गए प्रपत्र पर अभिलम्ब इस कार्यालय को भेजने की अनुकम्पा करें। ताकि सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। लेकिन इस कार्यालय द्वारा वांछित कुछ पाठशालाओं की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपको पुनः आदेश दिए जाते हैं कि, जिन स्कूलों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है वह पत्र प्राप्ति के दो दिन के भीतर Annual report of RTI अभिलम्ब इस कार्यालय को ई-मेल और विशेष संदेश वाहक द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

नोट: - केवल वही प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक सम्बन्धित सूचना भेजें, जिन्होंने पहले सूचना नहीं भेजी है। जिन्होंने पहले सूचना भेज दी है, वह दोबारा सूचना न भेजें।

उप शिक्षा निदेशक उच्च  
कांगडा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक धर्मशाला-176215 जून, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश शिमला-1 को सूचनार्थ।
2. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, पत्र को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने हेतु।

हस्ता | -

उप शिक्षा निदेशक उच्च  
कांगडा स्थित धर्मशाला